

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर आयुक्तालय एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER, CENTRAL GOODS & SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE, JAIPUR

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-05

N.C.R. BUILDING, STATUE CIRCLE, 'C' SCHEME, JAIPUR-05

फा.सं. 1-11(05)प्रशा/जेपीआर/2015/ 962

दिनांक: 15.05.2020

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि Central Government General Pool Residential Accommodation Rules, 2017 के नियम 12 के अनुसार, विभागीय आवास आवंटन हेतु अभ्यावेदन केवल एक वर्ष (जनवरी माह से दिसम्बर माह तक) के लिए ही वैध रहेगा। इस अवधि में विभागीय आवास के रिक्त होने पर वरीयता सूची के अनुसार आवास आवंटित कर दिया जायेगा। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को आवेदित क्लैंडर वर्ष में आवास आवंटित नहीं हो पाता है तो उन्हें आगामी क्लैंडर वर्ष में आवास आवंटन करवाने हेतु अपना अभ्यावेदन पुनः इस कार्यालय को उचित माध्यम के द्वारा प्रेषित करना होगा।

यह आयुक्त महोदय की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

-३-

(मंजूर अली अंसारी)

अपर आयुक्त (का. एवं सत.)

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त आयुक्त (मु. आ. का.), केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क (जयपुर जोन), जयपुर ।
2. अपर/संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क, अंकेक्षण आयुक्तालय/अपील्स आयुक्तालय/ सीमा शुल्क, जयपुर।
3. अपर महानिदेशक, DRI/DGGEI, Jaipur
4. उप/सहायक आयुक्त, के.व. व से.क. संभाग- ए से आई, जयपुर ।
5. मुख्य लेखाधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (प्रशा.), के.व. व से. क. एवं शु आयुक्तालय, जयपुर ।
6. अधीक्षक (कम्प्यूटर), केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर - विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
7. नोटिस बोर्ड ।

21/5/20
क.मंजूर अली अंसारी
19/5/2020
अपर आयुक्त (का. एवं सत.)